

शुल्क व प्रभारों की अनुसूची	
विवरण	शुल्क/प्रभार
प्रसंस्करण शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	लोन राशि का 4% या रु. 18000/-, जो भी अधिक हो
विलम्भ भुगतान पर जुर्माना	अतिदेय राशि पर प्रति माह 2%, भुगतान के अतिदेय होने के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए
किस्त बाउंस होने पर शुल्क	प्रति बाउंस रु. 1000/- तक
वार्षिक खाता विवरण/पुनर्भुगतान अनुसूची/अनंतिम कर प्रमाणपत्र/एलओडी फॉरक्लोजर (फौजदारी) पत्र/वेलकम लैटर (स्वागत पत्र)	- हर 12 महीने में एक बार जारी करने पर शून्य - अनुवर्ती/डुप्लिकेट अनुरोध - प्रति दस्तावेज़ रु. 500/-
लोन रद्दीकरण शुल्क	रु. 5000/- इसके अलावा, लोन वितरण की तिथि और लोन रद्दीकरण की तिथि के बीच की अंतरिम अवधि के लिए ब्याज लिया जाएगा. शेष राशि स्थानांतरण के मामलों में, भुगतान किया गया प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.
दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	प्रति पुनर्प्राप्ति रु. 1000/-
एडहॉक विवरण जारी करने के शुल्क	प्रति दस्तावेज़ रु. 500/-
स्टाम्प शुल्क और अन्य कानूनी दस्तावेज़ीकरण शुल्क	वास्तविक रूप में, राज्य के कानूनों के अनुसार लागू
संवितरण के बाद दस्तावेज़ की शर्तों का पालन न करने या किसी अन्य महत्वपूर्ण शर्तों या अनुबंधों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक शुल्क, जिनका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है	ए) रु. 10 लाख तक का लोन - लोन राशि का 1% वार्षिक, अधिकतम रु. 10,000 तक. बी) रु. 10 लाख से अधिक का लोन - लोन राशि का 1% वार्षिक, अधिकतम रु. 25,000 तक.
चेक/इंस्ट्रूमेंट स्वैप शुल्क <input type="checkbox"/>	प्रति भुगतान रु. 500/-
अन्य दस्तावेज़ीकरण शुल्क <input type="checkbox"/>	रु. 500/-

<p>Charges for Pre-payment/Part-Pre-payment /Foreclosure and applicable conditions</p>	<p>1. निश्चित दर लोन के लिए:</p> <p>ए. 12 ईएमआई चुकाने से पहले पूर्व-भुगतान/आंशिक पूर्व-भुगतान* की अनुमति नहीं है.</p> <p>बी. 12 ईएमआई चुकाने के बाद पूर्व-भुगतान/आंशिक पूर्व-भुगतान*: बकाया मूल राशि/पूर्व-भुगतान की गई राशि के 6% तक पूर्व-भुगतान शुल्क.</p> <p><u>पूर्व-भुगतान के लिए शर्तें:</u></p> <p>*बकाया मूल राशि का अधिकतम 25%, हर 12 (बारह) महीने में एक बार पूर्व-भुगतान किया जा सकता है.</p> <p>2. अस्थिर दर वाले लोन के लिए:</p> <p>ए. व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए:</p> <p>पूर्व-भुगतान शुल्क - शून्य</p> <p>बी. व्यक्तियों या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए रु. 1,00,000 तक. रु. 50 लाख तक के लोन, जो 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद व्यावसायिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत किए जाते हैं:</p> <p>पूर्व-भुगतान शुल्क - शून्य</p> <p>सी. उपरोक्त 2. ए और 2. बी में शामिल लोन के अलावा अन्य लोन के लिए:</p> <p>(i) 12 ईएमआई चुकाने से पहले पूर्व-भुगतान/आंशिक पूर्व-भुगतान* की अनुमति नहीं है.</p> <p>(ii) 12 ईएमआई चुकाने के बाद पूर्व-भुगतान/आंशिक पूर्व-भुगतान*:</p> <p>बकाया मूल राशि/पूर्व-भुगतान की गई राशि के 6% तक पूर्व-भुगतान शुल्क.</p> <p><u>पूर्व-भुगतान के लिए शर्तें:</u></p> <p>*बकाया मूल राशि का अधिकतम 25%, हर 12 (बारह) महीने में एक बार पूर्व-भुगतान किया जा सकता है.</p>
<p>स्विच ओवर शुल्क (अस्थायी ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर पर स्विच)</p>	<p>रु. 10,000/-</p>

संग्रह - कानूनी और अन्य आकस्मिक शुल्क	वास्तविक पर
---------------------------------------	-------------

नोट:

- ए) उपरोक्त शुल्क व प्रभारों का विवरण संवितरण की तिथि के अनुसार है तथा समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन के अधीन है तथा इसे समय-समय पर वेबसाइट (www.hfs.in) पर अपडेट किया जाएगा.
- बी) उपरोक्त सभी शुल्क व प्रभार करों से मुक्त हैं और लागू कर कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा.
- सी) उपरोक्त में कोई भी अपवाद पूरी तरह से एचएफएस के विवेक पर होगा.